



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228498
CG-DL-E-27072021-228498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2763]
No. 2763]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SHRAVANA 5, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

का.आ. 2973(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), 21 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3708(अ), तारीख, 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, “द टाइम्स आफ इंडिया” (अंग्रेजी) और “दिव्य भास्कर” (गुजराती) में तारीख 17 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	पुराना सर्वेक्षण/ ब्लॉक संख्या	नया सर्वेक्षण/ ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हैक्टर में क्षेत्रफल	भू स्वामी/ हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कलोल	नारसमेद	262/1 अ पैकी	395	निजी	खेती	0.0241	ठाकोर रामसंगजी डाहयाजी

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2170]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2021

S.O. 2973(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 3708(E), dated the 19th October, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st October, 2020 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Gandhinagar in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India” (English) and “Divya Bhaskar” (Gujarati) dated the 17th December, 2020, under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Gandhinagar for Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Old Survey/Block Number	New Survey/Block Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of Land Owners/Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kalol	Nashmed	262/1A Paiki	395	Private	Agriculture	0.0241	Thakur Ramsangji Dahyaji.

[F. No. 2021/LML-II/12/1/WC/2170]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)